



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. मनोज कुमार
PROF. MANOJ KUMAR
कुलानुशासक
PROCTOR

दूरभाष/Phone: +91 9422404277
manoikumardean@rediffmail.com

दिनांक : 05 जून, 2020

सूचना

छात्रावास के विद्यार्थियों/शोधार्थियों को छात्रावास खाली करने के संबंध में कोई समस्या हो तो वे अपनी समस्या कार्यालयी समय में कुलानुशासक को प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालयी अवधि के उपरांत किसी भी प्राधिकारी को बुलाने अथवा संपर्क करने पर उनपर कार्यवाही की जा सकती है।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत जारी की जाती है।

(प्रो. मनोज कुमार)
कुलानुशासक

प्रतिलिपि,

1. समस्त छात्रावास अधीक्षक
2. समस्त छात्रावास के विद्यार्थी/शोधार्थी
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट — 05/06/2020
4. कार्यालय प्रति